

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/12/2023

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में रजिस्ट्रड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 1 माह का समय व्यतीत हो चुका है। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ा आए हुए है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिसमें से प्रार्थीगणों एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थीगणों को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थीगण का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

(20/12/2023)

20-12-2023

सहायक कलक्टर (SDO)

बायतु

जिला - बाडमेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : वाद/2023/ 1339

दिनांक : 20/12/2023

प्रार्थी  
उदयसिंह पुत्र पुनमाराम जाति जाट,  
निवासी नया सोमसरा तहसील बायतु

बनाम

विप्रार्थी  
नन्दराम पुत्र देराजराम वगैरा 9 जाति जाट,  
निवासी देरामोणी पोटलियों की ढाणी तहसील  
बायतु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 196/2023

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बायतु चिमनजी पटवार हल्का बायतु चिमनजी के खेत खसरा नं. 669 रकबा 5.8814 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/-जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



20/12/2023

(सहायक कमिश्नर (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला - बाड़मेर  
दिनांक : 20/12/2023

क्रमांक : वाद/2023/ 1340-44

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवार हल्का बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रह कर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी उदयसिंह पुत्र पुनमाराम
4. विप्रार्थी नन्दराम पुत्र देराजराम वगैरा 9
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/नागाणा/गिड़ा/

20.12.2023

सहायक कमिश्नर बायतु

बायतु  
जिला - बाड़मेर